आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : आकाशि/RGSAE/अकादमिक/2021-22/3८८ दिनांक : 02.11.2021

प्रेस विज्ञप्ति

"राजीव गांधी स्कॉलरशिप फ़ॉर ऐकडमिक एक्सलेन्स-2021"

उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राज्य सरकार की योजना "राजीव गांधी स्कॉलरशिप फ़ॉर ऐकडमिक एक्सलेन्स" हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं । आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है एवं इस हेतु आवेदन करने की अवधि दिनांक 22.10.2021 से दिनांक 31.12.2021 रात्रि 12 बजे तक है।

इस योजना हेतु केवल वे विद्यार्थी जो राजस्थान के मूल निवासी हैं एवं जिन्होंने इस योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध 50 विश्वविद्यालयों से सत्र 2021-2022 या सत्र 2022-2023 में अध्ययन हेतु प्रवेश पत्र प्राप्त कर लिया हो, पात्र होंगे। आवेदन हेतु विद्यार्थी के पास जनाधार कार्ड का होना आवश्यक है| अभ्यर्थी के परिवार की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रूपये से कम होनी चाहिए तदापि 200 अवार्ड नहीं भरे जाने की स्थिति में, वे अभ्यर्थी जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रूपये से अधिक है, उनके आवेदन पर विचार किया जा सकता है|

ऑनलाइन आवेदन, विभाग की वेब साइट **http://hte.rajasthan.gov.in** द्वारा SSO_ID से login कर Citizen App-C2G के "Scholarship (CE, TAD, MINORITY)" ICON पर क्लिक कर किया जा सकता है ।

छात्रवृत्ति से सम्बन्धित सूचना, नियम विभाग की वेब साइट पर उपलब्ध हैं| इसके अतिरिक्त इस छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन भी उक्त साइट पर कर सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन सम्बन्धित किसी भी प्रकार के मार्ग-निर्देश / सूचना / स्पष्टीकरण हेतु संयुक्त निदेशक (अकादमिक) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर से उनके ई-मेल jdacad1960@gmail.com पर पत्र व्यवहार किया जा सकता है ।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा